जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग (छ.ग.)
Jila Sahakari Kendriya Bank Mydt., Durg (C.G.)
Email- jskbdurg@gmail.com, jskbactdurg@gmail.com

International Year of Cooperatives 2025

क्रमांक/ऑडिट/लेखा/3698 दुर्ग, दिनांक 03.10.2025

"आंतरिक (सतत) मॉसिक अंकेक्षण कार्य (Concurrent Audit) हेतु निविदा आमंत्रण"

बैंक मुख्यालय एवं शाखाओं के आंतरिक (सतत) मॉसिक अंकेक्षण वर्ष 2025–26 हेतु (माह अप्रेल 2025 से 31 मार्च 2026 तक, 12 माह हेतु) चार्टर्ड एकाउन्टेंट एसोसिएशन में रजिस्टर्ड सी.ए.फर्मो (चार्टर्ड एकाउन्टेंट) से निविदा आमंत्रित किया जाता है, निविदा बैंक की प्रत्येक जिले (बालोद–25 शाखाएं, बेमेतरा–24 शाखाएं एवं दुर्ग–24 शाखाएं) एवं मुख्यालय हेतु कार्य प्रस्ताव, प्रोफाईल एवं प्रति शाखा दर का उल्लेख करते हुए पृथक–पृथक बंद लिफाफे में जिलेवार दिया जाना आवश्यक है, लिफाफे के ऊपर **"कांकुरेंट ऑडिट हेतु निविदा"** तथा निविदा जमा करनें वाली फर्म का नाम, पता एवं फोन/मोबाईल नम्बर लिखा जाना आवश्यक है. निविदा के अंतर्गत नियम एवं शर्तो की जानकारी बैंक की वेबसाईट www.jskbdurg.bank.in अथवा प्रधान कार्यालय, दुर्ग जी.ई.रोड दुर्ग, लेखा कक्ष से प्राप्त की जा सकती है।

1	निविदा आवेदन जमा करनें की अंतिम तिथि –	दिनांक 17.12.2025 (अवकाश तिथि को छोडकर)	**समय : 4.00 बजे तक** (प्रधान कार्यालय,दुर्ग, लेखा कक्ष)
2	निविदा खोले जानें की तिथि व स्थान –	दिनांक 19.12.2025	**समय : 3.30 बजे** (प्रधान.कार्यालय, दुर्ग)

निविदा फार्म को बैंक के मुख्य अधिकारियों के समक्ष खोला जावेगा, यदि अपरिहार्य कारणों से निविदा निर्धारित तिथि/समय तक नहीं खोलीं जाती है तो निविदा खोले जानें की आगामी तिथि की जानकारी पृथक से फोन/मोबाईल के माध्यम से दी जावेगी, निविदा फार्म में अंतिम निविदा शर्तो का पालन करना निविदाकर्ता को बंधनकारी होगा तथा बिना कोई कारण बताए निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करनें का अधिकार बैंक प्रबंधन को होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या.,दुर्ग

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग (छ.ग.)
Jila Sahakari Kendriya Bank Mydt., Durg (C.G.)
Email- jskbdurg@gmail.com, jskbactdurg@gmail.com

International Year of Cooperatives 2025
Cooperatives Build a Better World

क्रमांक / अंकेक्षण / लेखा / 3698 दुर्ग, दिनांक : 03.12.2025

-: कांकुरेंट ऑडिट निविदा अंतर्गत नियम एवं शर्ते :-

बैंक मुख्यालय एवं शाखाओं के आंतरिक मॉसिक अंकेक्षण कार्य (**Concurrent Audit**), वर्ष 2025–26 हेतु चार्टर्ड एकाउन्टेंट फर्मो से निविदाएं दैनिक समाचार पत्र **"हरिभूमि"** एवं **"पहट"** में दिनांक 04.12.2025 को प्रकाशित कराया जाकर, आमंत्रित की गयी है। निविदा प्रत्येक जिले–बालोद, बेमेतरा एवं दुर्ग की बैंक शाखाओं हेतु पृथक–पृथक बंद लिफाफे में जिलेवार मंगायी गयी है, लिफाफे के ऊपर **"कांकुरेंट ऑडिट हेतु निविदा"** तथा निविदा जमा करनें वाली फर्म का नाम, पता एवं फोन / मोबाईल नम्बर का लिखा जाना आवश्यक है। प्रधान कार्यालय, दुर्ग में निविदा जमा करनें की अंतिम तिथि दिनांक 17.12.2025, समय : 4.00 बजे तक (बैंक अवकाश तिथि को छोडकर) एवं निविदा खोले जानें की तिथि दिनांक 19.12.2025, समय : 3.30 बजे, प्रधान कार्यालय, दुर्ग में निर्धारित की गयी है, निविदा फार्म को बैंक के अधिकारियों की कमेटी के समक्ष निर्धारित तिथि में खोला जावेगा, यदि अपरिहार्य कारणों से निविदा निर्धारित तिथि / समय पर नहीं खोला जाता है तो निविदा खोले जानें की आगामी तिथि की जानकारी पृथक से फोन / मोबाईल नम्बर के माध्यम से दी जावेगी।

उक्त कार्य हेतु चार्टर्ड एकाउन्टेंट अथवा उसकी फर्म को निविदा अंतर्गत भाग लेनें हेतु निम्नानुसार आर्हताओं का होना आवश्यक है –

1. फर्म का चार्टर्ड एकाउन्टेंट एसोसिएशन में रजिस्टर्ड होना आवश्यक है तथा फर्म का **DISA** सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा।
3. चार्टर्ड एकाउन्टेंट अथवा उसकी फर्म का मुख्यालय आफिस छ0ग0 राज्य के अंदर हो एवं एक शाखा ऑफिस बैंक के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत हो।
4. चार्टर्ड एकाउन्टेंट फर्म को छ0ग0 के किसी भी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक में कम से कम दो वर्ष किए गए सांविधिक / कांकुरेंट ऑडिट कार्यो का अनुभव आवश्यक है, जो फर्म जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., दुर्ग में विगत 03 वर्षो से कांकुरेंट ऑडिट कार्य पूर्ण किया हो वे इस निविदा में Participate नहीं कर सकेंगे।
5. चार्टर्ड एकाउन्टेंट अथवा उसकी फर्म को भारतीय रिजर्व बैंक / नाबार्ड तथा पंजीयक सहकारी संस्थाएं (छ0ग0) के व्दारा कभी भी ब्लेक लिस्ट या फर्म के विरूद्ध नकारात्मक टिप्पणी न किया गया हो।
6. कांकुरेंट अंकेक्षण कार्य अंतर्गत फर्म को भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं व्दारा अंकेक्षण कार्य अंतर्गत दिए गए दिशा–निर्देशों का पूर्ण पालन करना होगा।
7. फर्म को मॉसिक अंकेक्षण कार्य किया जाकर अपनी रिपोर्ट त्रैमॉस आधार पर आगामी माह की 20 तारीख तक अनिवार्यतः प्रधान कार्यालय, दुर्ग में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. अंकेक्षण के अंतर्गत पाए गए मुख्य–मुख्य आक्षेपों से बैंक प्रबंधन को समय–समय पर लिखित में अवगत कराना आवश्यक होगा तथा जांच अंतर्गत बिन्दुओं को (1) गंभीर त्रुटि (2) बडी त्रुटि एवं (3) सामान्य त्रुटि में वर्गीकृत करना आवश्यक होगा।
9. भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं के नियम एवं शर्तो का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं इसकी जांच करना एवं उल्लंघन होनें पर पृथक से रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा।

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग (छ.ग.)
Jila Sahakari Kendriya Bank Mydt., Durg (C.G.)
Email- jskbdurg@gmail.com, jskbactdurg@gmail.com

10. वर्ष में सतत् अंकेक्षण पश्चात् किसी भी प्रकार की वार्षिक अनियमितता प्रकाश में आती है और जानकरी से बैंक प्रबंधन को लिखित में अवगत नहीं कराया जाता है तो उसके लिए संबंधित चार्टर्ड एकाउन्टेंट अथवा उसकी फर्म जिम्मेदार होगी।

11. अंकेक्षण के दौरान, शिलक सत्यापन, **C-KYC/KYC** का अपडेशन, **Risk Category (Medium/Low/High)**, आधार/मोबाईल सिडिंग, **CTR-STR-CCR-NTR, Deaf fund Transfer** की रिर्पोटिंग, **Un-claimed** खातों की प्रधान कार्यालय को रिर्पोटिंग, **DMR** खातों का परीक्षण एवं उचित समायोजन, शाखा एवं शाखा के अन्य बैंकों में स्थित खातों का रिकन्सीलेशन, खातों के अंतर्गत पेन–कार्ड की उपलब्धता, सिस्टम के माध्यम से प्राप्त **V.V.R. (Voucher Verification Report)** अनुसार सत्यापवन इत्यादि मुख्य–मुख्य बिन्दुओं का समावेश ऑडिट रिपोर्ट में प्राथमिकता से करना होगा।

12. फर्म को निविदा शर्तो का पालन करना निविदाकर्ता को बंधनकारी होगा तथा बिना किसी कारण बताएं निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करनें का अधिकार बैंक प्रबंधन का होगा. निविदा खोले जानें के समय निविदाकर्ता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि अधिकार पत्र के साथ भाग ले सकेंगे।

13 वित्तीय वर्ष 2024–25 के अंतर्गत जिला बालोद की 25 शाखाओं एवं जिला दुर्ग की 25 शाखाओं/मुख्यालय (24+1) हेतु प्रति शाखा, प्रतिमाह राशि रू.1890.00 की दर पर व जिला बेमेतरा 24 बैंक शाखाओं हेतु प्रति शाखा, प्रतिमाह राशि रू.1985.00 की दर पर ऑडिट फीस का भुगतान किया गया था।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या.,दुर्ग